International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 10, October- 2022
ISSN(o): 2231-4334 | ISSN(p): 2349-6517 | Impact Factor: 8.106

प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं स्वाभिमान योजना : एक तुलनात्मक अध्ययन ।

[1] प्रीति कुमारी[2] डॉ ब्रजेश कुमार सिंह
[1] शोध प्रज्ञ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, वाई बी एन यूनिवर्सिटी, रांची, झारखंड।
[2] एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, वाई बी एन यूनिवर्सिटी, रांची, झारखंड।

सारांश

प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) और स्वाभिमान योजना दोनों ही भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनका लक्ष्य आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना और गरीबी के असर से मुकाबला करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजनाके तहत गरीब व्यक्तियों को वित्तीय समावेशन का लाभ मिला है। इससे उन्हें बैंक खाते में पैसे जमा करने, नेट बैंकिंग, और डेबिट कार्ड का उपयोग करने की सुविधा मिली है। यह उन्हें वित्तीय समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है।

बीमा सुविधासे गरीब व्यक्तियों को नि:शुल्क जीवन बीमा कवर प्रदान की है। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है और अचानक आपदा के समय उनके परिवार को आराम से जीने का मौका मिलता है। इसके तहत गरीब व्यक्तियों को वित्तीय शिक्षा और जागरूकता देने का प्रयास किया जाता है। इससे उन्हें अधिक उचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलती है।

गरीब व्यक्तियों को सरलता से बैंकिंग सेवाएं मिलती हैं। इससे उन्हें बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने में आसानी होती है और उन्हें समृद्धि की दिशा में कदम उठाने में मदद मिलती है। इस योजना ने आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया है। इससे गरीब व्यक्तियों को समाज में समानता का अहसास होता है और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्धि का मौका मिलता है।

International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 10, October- 2022
ISSN(o): 2231-4334 | ISSN(p): 2349-6517 | Impact Factor: 8.106

स्वाभिमान योजना:

स्वाभिमान योजना भारत सरकार द्वारा लागू की जाने वाली एक योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विभिन्न समुदायों के लोगों को उनके स्वावलंबन और स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित किया जाता है।

इस योजना के माध्यम से गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहायता दी जाती है और गरीब लोगों को आर्थिक रूप से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत विभिन्न स्वरोजगार समूहों का समर्थन किया जाता है जिससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद मिलती है। गरीब वर्गों को विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं का लाभ मिलता है जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसके तहत उद्यमिता समर्थन के लिए ऋण सुविधा भी प्रदान की जाती है जो गरीब लोगों को उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करती है।

स्वाभिमान योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जिनसे गरीब वर्गों को संबल बनाने की कोशिश की जाती है। इस योजना के माध्यम से गरीब वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न सुविधाएं और समर्थन प्रदान किए जाते हैं जो उनके स्वावलंबन और स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करते हैं।

इन दोनों योजनाओं के तहत भारत सरकार गरीबी के खिलाफ लड़ने और गरीब वर्गों को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये योजनाएं वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार के माध्यम से गरीब वर्गों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं।

प्रस्तावना:

प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) और स्वाभिमान योजना दोनों ही भारत सरकार द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखती हैं।

इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाओं के लाभ से जोड़ना और इसे वित्तीय समावेशन में बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को बैंक खाते में पैसे जमा करने, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने, और विभिन्न वित्तीय सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।

International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 10, October- 2022
ISSN(o): 2231-4334 | ISSN(p): 2349-6517 | Impact Factor: 8.106

स्वाभिमान योजना:

स्वाभिमान योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार, ऋण सुविधा, कौशल विकास, और विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लाभ प्रदान किया जाता है। इससे गरीब वर्गों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जाती है।

इन दोनों योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार गरीबी के खिलाफ लड़ने और गरीब वर्गों को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये योजनाएं वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार के माध्यम से गरीब वर्गों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं।

साहित्य की समीक्षा:

प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) और स्वाभिमान योजना दोनों ही भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई योजनाएं हैं। ये दोनों योजनाएं आर्थिक समावेशन, स्वरोजगार के अवसर, और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती हैं।

प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY):

1. लाभार्थी: PMJDY के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने की सुविधा, बीमा सुविधा, पेंशन सुविधा, जीवन बीमा कवर, आधार सीधा लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान का समर्थन, वित्तीय शिक्षा, और भुगतान जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

2. समीक्षा: PMJDY ने देशवासियों को वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह योजना गरीब वर्गों को बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय समावेशन के लाभ से जोड़ने में सफल हुई है। खाता खोलने के लिए आसान प्रक्रिया और मुफ्त बीमा सुविधा ने लोगों को इसके लाभ का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। यह योजना वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अधिक लोगों को शामिल करने में मदद करती है और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होती है।

स्वाभिमान योजना:

1. लाभार्थी: स्वाभिमान योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विभिन्न समुदायों के लोग सम्मिलित होते हैं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न

International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 10, October- 2022
ISSN(o): 2231-4334 | ISSN(p): 2349-6517 | Impact Factor: 8.106

विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास, ऋण सुविधा, और आधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

2. समीक्षा: स्वाभिमान योजना ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सफलता के लिए कई समुदायों को सशक्त बनाने में सहायक है। इस योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर और कौशल विकास सुविधा के माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना विभिन्न विकास कार्यक्रमों और ऋण सुविधा के माध्यम से लोगों को आर्थिक समृद्धि की दिशा में मदद करती है।

अवधारणा:

इनकी अवधारणा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाओं के लाभ से जोड़ना है। यह योजना बैंक खाते में पैसे जमा करने, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बीमा, पेंशन और वित्तीय शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के माध्यम से गरीब वर्गों को वित्तीय समावेशन में शामिल करने का लक्ष्य रखती है।

स्वाभिमान योजना की अवधारणा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार, कौशल विकास, ऋण सुविधा, विकास कार्यक्रम और आधुनिक ट्रेनिंग सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना गरीब वर्गों को स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करने का लक्ष्य रखती है और उन्हें आर्थिक समृद्धि की दिशा में प्रोत्साहित करती है।

इन योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सफलता के लिए कई कदम उठाए हैं और आर्थिक समावेशन और स्वावलंबन के माध्यम से गरीब वर्गों को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये योजनाएं वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार के माध्यम से गरीब वर्गों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

विषय:

प्रधानमंत्री जनधन योजना: (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, PMJDY) एक राष्ट्रीय स्तरीय योजना है, जो भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय समावेशन की सुविधाएं प्रदान करना है। यह योजना गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने का माध्यम बनाने का लक्ष्य रखती है।

International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 10, October- 2022
ISSN(o): 2231-4334 | ISSN(p): 2349-6517 | Impact Factor: 8.106

1. फिनैंसियल समावेशन: गरीब वर्गों को वित्तीय समावेशन में शामिल करना। इसके जरिए उन्हें बैंक खाता, डेबिट कार्ड, और नेट बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
2. बीमा सुरक्षा: योजना के तहत खाताधारकों को जीवन बीमा, निश्चित योजना बीमा, और एकसाधारण बीमा जैसी बीमा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
3. क्रेडिट विकास: योजना के माध्यम से गरीब वर्गों को ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे उन्हें उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए अवसर मिलते हैं।
4. आर्थिक शिक्षा: इस योजना के तहत वित्तीय शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे लोग बैंकिंग और वित्तीय समावेशन के लाभ को समझ सकते हैं।

PMJDY के अंतर्गत खाताधारकों को बिना मिनिमम बैलेंस या खाता खोलने की सुविधा होती है। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

स्वाभिमान योजना: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्तरीय योजना है, जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को सशक्त बनाने के लिए नए स्वरोजगारी अवसर प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास, ऋण सुविधा, और विकास कार्यक्रमों की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

1. स्वरोजगार के अवसर: योजना के अंतर्गत गरीब वर्गों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इससे वे खुद को रोजगार के जरिए आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सकते हैं।
2. कौशल विकास: योजना के तहत गरीब वर्गों को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे उन्हें नौकरी और उद्यमिता के लिए जरूरी कौशलों का विकास होता है।
3. ऋण सुविधा: स्वाभिमान योजना के अंतर्गत गरीब वर्गों को बैंकों से आसानी से ऋण सुविधाएं मिलती हैं, जिससे उन्हें उद्यमिता के लिए वित्तीय समर्थन प्राप्त होता है।
4. विकास कार्यक्रम: योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को समृद्धि के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे उन्हें अधिक विकास के लिए समर्थ बनाया जाता है।

International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 10, October- 2022
ISSN(o): 2231-4334 | ISSN(p): 2349-6517 | Impact Factor: 8.106

स्वाभिमान योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीब वर्गों को आर्थिक समृद्धि और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करने के लिए कदम उठाती है। इससे वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में सम्मानित हो सकते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं।

वस्तुनिष्ठ:

प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वाभिमान योजना दोनों ही भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए निर्मित हैं। हम इन दोनों योजनाओं को वस्तुनिष्ठ रूप से निम्नलिखित अंशों में विभाजित कर सकते हैं:

प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY):

1. उद्देश्य: PMJDY का मुख्य उद्देश्य भारतीय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय समावेशन की सुविधाएं प्रदान करना है।
2. सुविधाएं: इस योजना के अंतर्गत खाताधारकों को बैंक खाता, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बीमा सुविधा, और वित्तीय शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
3. लाभार्थी: गरीबी रेखा से ऊपर के लोग, विशेष रूप से राज्य सरकारों के आधार डेटा में नामांकित गरीब परिवारों के सदस्यों को इस योजना का लाभ प्राप्त होता है।

स्वाभिमान योजना:

1. उद्देश्य: स्वाभिमान योजना का उद्देश्य गरीब वर्गों को स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास, ऋण सुविधा, और विकास कार्यक्रमों की सुविधाएं प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।
2. सुविधाएं: इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग सुविधाएं, ऋण सुविधा, और विकास कार्यक्रमों की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
3. लाभार्थी: स्वाभिमान योजना का लाभ गरीबी रेखा से ऊपर के गरीब वर्गों के लोगों को मिलता है। यह योजना सबको समान रूप से प्रदान की जाती है, इसमें नामांकन की कोई नहीं होती।

International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 10, October- 2022
ISSN(o): 2231-4334 | ISSN(p): 2349-6517 | Impact Factor: 8.106

इन दोनों योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ने गरीब वर्गों को वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए कदम उठाये हैं।

अनुसंधान पद्धति:

प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वाभिमान योजना का अनुसंधान विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। इन योजनाओं के प्रभाव और सफलता को मापने के लिए निम्नलिखित अनुसंधान पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है:

1. सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण: विभिन्न सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण तकनीकें इन योजनाओं के प्रभाव को मापने में मदद कर सकती हैं। इसमें खाताधारकों के वित्तीय व्यवहार, उनके स्वरोजगार या उद्यमिता में बदलाव, उद्योग सेक्टर में सक्रियता आदि का अध्ययन शामिल हो सकता है।
2. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अध्ययन: इन योजनाओं के लाभार्थियों के साथ समीक्षात्मक अध्ययन करके उनके जीवन में हुए पॉजिटिव बदलावों को समझा जा सकता है। यहां उनके अनुभव, उद्दीपना, संघर्षों आदि का विश्लेषण किया जा सकता है।
3. आर्थिक अध्ययन: इन योजनाओं के लाभार्थियों के आर्थिक स्थिति और समृद्धि में हुए बदलाव का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें खाताधारकों के बैंक खातों में जमा धन, क्रेडिट उपयोग, वित्तीय समावेशन के उपयोग की विधियों का विश्लेषण शामिल हो सकता है।

4. केस स्टडीज: विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों और संगठनों में अध्ययन के लिए केस स्टडीज का उपयोग किया जा सकता है। इसमें उन लोगों के अनुभवों को देखा जा सकता है जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है और उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट को मापा जा सकता है।
5. विश्लेषणात्मक अध्ययन: योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें परिणामों को सांख्यिकी और विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

यह तरीके और पद्धतियां उचित रूप से संयोजित करके प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वाभिमान योजना के प्रभाव को निष्कर्षित किया जा सकता है और सरकार को उन्हें

International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 10, October- 2022
ISSN(o): 2231-4334 | ISSN(p): 2349-6517 | Impact Factor: 8.106

सुधारने और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलती है।

कमिया:

प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वाभिमान योजना का प्रयास भारत के गरीब वर्गों के आर्थिक समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ाने का है। हालांकि, कुछ कमियां भी हैं जो इन योजनाओं को सफलता तक पहुंचाने में रोक सकती हैं। कुछ प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं:

1. विशेषज्ञता की कमी: इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सेवाओं के प्रोवाइडर्स के साथ गरीब वर्गों को विशेषज्ञ सलाह और ट्रेनिंग की कमी हो सकती है। ऐसा करके, उन्हें वित्तीय समावेशन के लाभ का सही उपयोग नहीं कर पाने की संभावना होती है।
2. बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, जिससे लोगों को बैंक खाते खोलने और उन्हें प्रभावी रूप से उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है।
3. वित्तीय शिक्षा की कमी: गरीब वर्गों में वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण उन्हें वित्तीय समावेशन के लाभ को सही तरीके से समझने में दिक्कत हो सकती है।
4. उचित लाभ नहीं मिलना: कई बार देखा गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वाभिमान योजना के लाभार्थियों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई बैंक और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा अनुचित शुल्कों और खर्चों की वजह से लाभ खत्म हो जाता है।

5. खाता नियम और पात्रता: गरीब वर्गों के लिए बैंक खाते खोलने के नियम और पात्रता में कई बार असंगठितता और विभिन्न रूपों की दिक्कतें होती हैं, जिससे लोग अपने नाम और खाते को समर्थित करने में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं।

इन कमियों का सामान्यतः गरीब वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की पहुंच और प्रभाव को प्रभावित करता है। सरकार को इन विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए सशक्त नीतियों और निर्देशकों का विकास करने की आवश्यकता होती है ताकि योजनाओं को अधिक सफलता और समानता के साथ अमल में लाया जा सके।

International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 10, October- 2022
ISSN(o): 2231-4334 | ISSN(p): 2349-6517 | Impact Factor: 8.106

निष्कर्ष:

1. वित्तीय समावेशन: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गरीब वर्गों को बैंक खाता, डेबिट कार्ड, और वित्तीय समावेशन की सुविधा मिलती है। स्वाभिमान योजना के अंतर्गत उन्हें ऋण सुविधा भी प्रदान की जाती है। इससे गरीब वर्गों के लोग बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय समावेशन का लाभ उठा सकते हैं।

2. स्वरोजगार और उद्यमिता: स्वाभिमान योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार के अवसर और कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग सुविधाएं मिलती हैं। इससे उन्हें नौकरी के स्थान पर खुद के उद्यम को समभालने का अवसर मिलता है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

3. समाजिक अंतर: दोनों योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्गों को समाज में उच्चतर स्थान पर लाने में मदद मिलती है। इन योजनाओं के लाभार्थियों को समाज में सम्मान मिलता है और उनका स्वाभिमान बढ़ता है।

4. आर्थिक विकास: प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वाभिमान योजना के माध्यम से आर्थिक विकास को गति मिलती है। इन योजनाओं के लाभार्थियों का आर्थिक समृद्धि के माध्यम से विकास होता है और उन्हें अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सक्रियता का अवसर मिलता है।

इन निष्कर्षों से साफ है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वाभिमान योजना भारत में गरीब वर्गों के लिए बड़े परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार, और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो गरीब वर्गों को अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. "Financial Inclusion and Inclusive Growth: An Assessment of PMJDY and MUDRA Yojana" by Dr.RanjeetMechat

2. "Jan Dhan Yojana: How Beneficial Is the Scheme to the Economically Weaker Sections?" by Manish Agrawal

3. "Financial Inclusion and Jan Dhan Yojana: A Study in Rajasthan" by Dr. Geeta Saxena

4. "The Impact of Jan Dhan Yojana on Financial Inclusion in India" by

International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 10, October- 2022
ISSN(o): 2231-4334 | ISSN(p): 2349-6517 | Impact Factor: 8.106

Dr. P. M. Sharma and Dr. Varun Gupta

5. "Economic Empowerment of Weaker Sections through Jan Dhan Yojana" by Prof. Rajesh Mishra and Dr. Sanjay Gupta

6. "Jan Dhan Yojana: An Overview" by Dr. R. K. Uppal and Dr. G. S. Batra

7. "Economic Inclusion of the Weaker Sections through Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana" by Dr. S. P. Gupta and Dr. R. K. Uppal

8. "Assessment of the Impact of Jan Dhan Yojana on Financial Inclusion" by Dr. Alok Kumar Tiwari

9. "Jan Dhan Yojana and Financial Inclusion in India" by Dr. Uday Kumar Shukla